



प्रेस नोट थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक 29.03.2025

थाना निगोही पुलिस की बड़ी कार्यवाही

थाना निगोही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 147/2025 मे वांछित अभियुक्त आदिल पुत्र तारिक अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्री प्रयांक जैन क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में द्वारा प्रभारी निरीक्षक निगोही के नेतृत्व मे थाना निगोही पुलिस द्वारा थाना निगोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2025 धारा 137(2) भा0 न्याय सं0 बावत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था । विवेचना के मध्य पीडिता/अपहृता की सकुशल बरामदगी की गई । पीडिता/अपहृता के धारा 180/183 बयानो के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त मे धारा **87/65(1)/351(3) भा0 न्याय सं0 व 3/4(2) पाक्सों एक्ट की वृद्धि की गई ।** तमामी विवेचना के दौरान संकलित किये साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त आदिल पुत्र तारिक अली निवासी कब्रिस्तान के पास मौहल्ला इस्लामनगर गौटिया कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष को आज दिनांक 29.03.2025 को निगोही पुवाया रोड से उदारा मोड से समय करीब 01.20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणो को न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार शाहजहाँपुर भेजा गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

आदिल पुत्र तारिक अली निवासी कब्रिस्तान के पास मौहल्ला इस्लामनगर गौटिया कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणो का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 147/2025 धारा 137(2)/87/65(1)/351(3) भा0 न्याय सं0 व 3/4(2) पाक्सों एक्ट थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.** प्रभारी निरीक्षक विजयप्रताप सिंह थाना निगोही शाहजहाँपुर
- 2.** उ0नि0 श्री इरफान अली थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
- 3.** का0 2324 मोहित भाटी थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर